राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.8(ग)(170)नियम/डीएलबी/19/29812 जयपुर, दिनांकः 25/06/2019

परिपत्र

विषयः राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र (पॉलिसी डोक्यूमेन्ट) के तहत घुमन्तु /अर्द्धघुमन्तु, विमुक्त जातियों को निःशुल्क भूखण्ड आवंटन।

राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र पॉलिसी डोक्यूमेन्ट के बिन्दु संख्या 23.02.02 के अनुसार घुमन्तु/अर्द्धघुमन्तु विमुक्त जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु इन जातियों के प्रत्येक परिवार को पात्रता के आधार पर 50 वर्गगज तक का निःशुल्क भूखण्ड आवंटित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

उक्त निर्णय की अनुपालना में उक्त जातियों को 50 वर्गगज तक का भूखण्ड प्राधिकरण/न्यास द्वारा निःशुल्क आवंटित निम्नांकित शर्तो के अनुसार किया जावेगा।

(i) समस्त नगरीय निकाय अपने क्षेत्र में राजस्थान राज्य के घुमन्तु/अर्द्धघुमन्तु विमुक्त जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु अवशेष रहे आवासहीन परिवारों को आवासीय भूखण्डों का निःशुल्क आवंटन कर सकेगे। निःशुल्क आवंटित किये जाने वाले आवासीय भूखण्ड का अधिकतम आकार 50 वर्गगज होगा।

(ii) भूमि आवंटन के लिये पात्रता पर उक्त जातियों का सदस्य होना एवं उसका प्रमाण पत्र जारी होना ही पर्याप्त आधार होगा। इनके जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत राजस्व अधिकारी ही सक्षम होगे।

(iii) राजस्थान राज्य के घुमन्तु/अर्द्धघुमन्तु, विमुक्त जातियों में केवल वे जातियॉ शामिल मानी जायेगी जिन्हें समाज कल्याण विभाग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) द्वारा अधिसूचना के जरिये शामिल किया गया है।

(iv) समस्त नगरीय निकायो के द्वारा इन जातियों को निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु भूमि चिन्हित करके आरक्षित रखी जायेगी और उस पर अन्य किसी का अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था संबंधित निकाय द्वारा की जायेगी।

(v) नगरीय क्षेत्रों में निवास कर रहे उक्त जातियों के ऐसे परिवार भी चिन्हित किये जावें जिनके पास कोई आवासीय मकान या आवासीय भूमि नही है।

(vi) आवेदन प्राप्त होने पर चिन्हित भूमि में उक्त जातियों के पात्र व्यक्तियों को यथाशीघ्र पट्टे आवंटित किये जावे।

(vii) इन जातियों के एक परिवार को केवल एक ही आवासीय भूखण्ड निःशुल्क आवंटित होगा। यदि किसी परिवार के पास पूर्व से ही आवासीय मकान अथवा 50 वर्गगज या इससे अधिक आवासीय भूमि उपलब्ध है तो वह इस आदेश के अन्तर्गत निःशुल्क भूखण्ड आवंटन के लिये पात्र नहीं होगा।

(viii) इन जातियों के आवास हेतु आवंटित भूमि का उपयोग राज्य में किसी भी अन्य जाति अथवा अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जायेगा।

(ix) निःशुल्क भूमि के आवंटन के पश्चात् पट्टाधारी व्यक्ति 20 वर्ष तक भूखण्ड का बेचान अन्य किसी को नही कर सकेगा। इस शर्त का उल्लेख पट्टे में आवश्यक रूप से किया जावे।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः प.8(ग)(170)नियम/डीएलबी/19/29813-30226 दिनांकः 25/06/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
3. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाए समस्त राज.।
4. समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण, निदेशालय।
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
7. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाऐ समस्त राज.।
8. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने बाबत्।
9. सुरक्षित पत्रावली।

924

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी